HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 746/2024

Union Of India, Through General Manager, Northern Western Railway, Jaipur

----Appellant

Versus

1. Jivan Ram S/o Of Late Shri Manak Gir, Aged About 54 Years, R/o Ward No. 43, Sindhi Mohalla, Sureshiya, Hanumangarh (Rajasthan)
2. Raj Rani W/o Shri Jivan Ram, Aged About 39 Years, R/o Ward No. 43, Sindhi Mohalla, Sureshiya, Hanumangarh (Rajasthan)

----Respondents

For Appellant(s)	:	Mr. Praveen SinghRajawat, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Raghav Sharma, Adv. for Mr. Ajay Shukla, Adv. Ms. Jyoti Sharma, Adv.

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Judgment / Order

25/02/2026

अपीलार्थी–विपक्षी भारत संघ (आगे ''विपक्षी'' कहा जावेगा) की ओर से यह अपील विद्वान रेल दावा न्यायाधिकरण, जयपुर न्यायपीठ द्वारा प्रकरण संख्या OA(IIu)/JP/40/2020 में पारित निर्णय दिनांक 20.11.2023 से व्यथित होकर पेश की है जिसके माध्यम से प्रत्यर्थी–दावेदारों को उनके पुत्र अजय कुमार की रेलवे यात्रा के दौरान अप्रिय घटना के कारण हुई मृत्यु पर कुल 8,00,000/– रूपये प्रतिकर मय ब्याज दिलाया है।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी का निवेदन है कि मृतक घटना के समय मानसिक रूप से अस्वस्थ था, उसके द्वारा स्वयं जानबूझकर यह घटना कारित की गयी थी, अतः ऐसी स्थिति में रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा–124A के परन्तुक के अनुसार यह घटना अपवाद की श्रेणी में आने से दावा स्वीकार होने

योग्य नहीं था, इस प्रकार अपीलाधीन निर्णय को अपास्त किये जाने का निवेदन किया।

इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी–दावेदारान का निवेदन है कि मृतक मानसिक रूप से अस्वस्थ हो अथवा घटना स्वकारित हो, इस संबंध में पत्रावली पर कोई साक्ष्य नहीं है, विद्वान विचारण अधिकरण ने सभी तथ्यों को विचार में लेने के उपरान्त अपीलाधीन निर्णय पारित किया जो विधि–सम्मत है।

दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्कों के संबंध में अभिलेख का अवलोकन किया।

डी.आर.एम. रिपोर्ट और उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार मृतक घटना के समय संबंधित रेल में टिकट लेकर यात्रा कर रहा था और वह सद्भाविक यात्री था, इस संबंध में कोई विवाद नहीं है। मृतक के पिता द्वारा मृतक का मानसिक रूप से अस्वस्थ होना स्वीकार किया हो, ऐसी स्थिति भी पत्रावली पर नहीं है। मृत्यु पूर्व चोटें स्वकारित हों, ऐसी स्थिति भी नहीं है, विद्वान विचारण अधिकरण ने सभी साक्ष्य पर विचार करने के उपरान्त मृतक को सद्भाविक रेल यात्री होना मानते हुए यात्रा के दौरान ट्रेन से गिरने से यह अप्रिय घटना कारित होना मानकर प्रतिकर राशि दिलायी है जो पूर्णतः विधि–सम्मत है। इस प्रकार आक्षेपित निर्णय में हस्तक्षेप किये जाने का कोई उचित आधार प्रतीत नहीं होता है।

तदनुसार अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20.11.2023 की पुष्टि करते हुए यह अपील खारिज की जाती हैं, स्थगन प्रार्थना पत्र भी उक्त प्रकार से अस्वीकार किया जाता है।

विचारण न्यायालय का अभिलेख यदि प्राप्त हो रखा है तो इस आदेश की प्रति के साथ विचारण न्यायालय को प्रेषित किया जावे।

(UMA SHANKER VYAS),J

Mittal /25